

कार्यालय प्रधानाचार्य, रविन्द्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं नियन्त्रक,
संयुक्त चिकित्सालय संघ, उदयपुर।

क्रमांक: रनाटै/नियुक्ति-1/एफ.108(JR)/2021/2604

दिनांक :- 9.12.2021


:- कार्यालय आदेश :-

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.7(54)(252)(02)डीएमई/एकेड
/2021-पार्ट दिनांक 30.11.2021 के अनुसरण में इस महाविद्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक:
रनाटै/नियुक्ति-1/एफ.(विज्ञापन)/2021/2532 दिनांक 01.12.2021 के क्रम में दिनांक 09.12.2021
को उपस्थित हुए अभ्यर्थियों का कमेटी द्वारा साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार के पश्चात् कमेटी द्वारा
निम्नलिखित अभ्यर्थियों का जूनियर रेजीडेन्ट के पद पर चयन किया गया :-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	जन्मतिथि	मोबाईल नं.	आवंटित विभाग
1	Dr. Meghna Kataria D/o Subhash Kataria	03.09.1992	9540396591	अधीक्षक, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर।
2	Dr. Manoj Kumar Meena S/o Banshi Lal	19.04.1993	6377238106	
3	Dr. Mukesh Kumar Asari S/o Kalu Ram	19.08.1996	9119167360	

यह नियुक्ति उक्त चिकित्सकों के 02 राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र सत्यापन एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के अध्यक्षीन होगी। उपस्थिति के समय शैक्षणिक योग्यता के मूल दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, राजस्थान मेडिकल काउन्सिल द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी। चयनित अभ्यर्थियों को होस्टल सुविधा देय नहीं होगी। चयनित अभ्यर्थी यदि हड़ताल अथवा अन्य अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा तो उसकी सेवायें बिना किसी नोटिस के तत्काल समाप्त की जा सकेंगी, इस आशय की अपडरटेकिंग चयनित अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार के समय दे दी गई है। अभ्यर्थियों को आवंटित विभाग से संबंधित आचार्य एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित कार्य के साथ-साथ आपाताकालीन सेवायें भी देनी होगी। इन्हें नियमानुसार 04 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। इन चिकित्सकों को आदेश जारी होने की तिथि से 03 दिवस में अपनी उपस्थिति संबंधित आचार्य एवं विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करनी होगी, निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने पर चिकित्सक की नियुक्ति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी। कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि की प्रार्थना स्वीकार्य नहीं होगी। उक्त नियुक्ति समय समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अध्यक्षीन होगी। चिकित्सक द्वारा लगातार 03 दिवस बिना किसी सूचना अनुपस्थित रहने पर उक्त नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी, ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का स्ट्राइफण्ड/अनुभव प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।

जूनियर रेजीडेन्ट के पद एवं संबंधित जूनियर रेजीडेन्ट की नियुक्ति दिनांक 28.02.2022 के बाद अथवा नीट-पीजी काउंसिलिंग पूर्ण होने तक, दोनो में से जो भी पहले हो तक की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जायेगी, इस हेतु पृथक से कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा।



प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक

क्रमशः 2


(2)

क्रमांक: रनाटै / नियुक्ति-1 / एफ.108(JR) / 2021 / 2604

दिनांक :- 9.12.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
2. अतिरिक्त प्रधानाचार्य (प्रथम), र.ना.टै. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
3. अतिरिक्त प्रधानाचार्य (द्वितीय), र.ना.टै. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
4. अधीक्षक, सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त जूनियर रेजीडेंट को आपके अधीन संबंधित विभाग में आवंटन कराना सुनिश्चित करावे।
5. वित्तीय सलाहकार, रनाटै मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
6. संबंधित आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
7. नोडल अधिकारी, कॉलेज वेबसाईट।
8. लेखाशाखा, कार्यालय हाजा को चयनित चिकित्सकों को संबंधित विभाग से प्राप्त उपस्थिति के आधार पर निर्धारित दरों पर मानदेय का भुगतान की कार्यवाही हेतु।
9. निजी पत्रावली डॉ.



प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक